राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(6)गृह–1/2020 जयपुर, दिनांक : 04.02.2021

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.**01.2021** की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सुपर टाईम स्केल की** निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

वर्ष 2017–18 :–

कार्मिक विभाग के पुनर्विलोकन याचिका में आदेश दिनांक 19.08.2020 द्वारा श्री गोविन्द देथा, आरपीएस के विरूद्व पारित दण्डादेश दिनांक 10.04.2018 को अपास्त किये जाने के कारण श्री देथा को सलेक्शन स्केल में वर्ष 2014–15 के स्थान पर वर्ष 2013–14 में पदोन्नत किये जाने के परिणामस्वरूप सुपर टाईम स्केल में वर्ष 2017–18 में पदोन्नत किया जाता है। श्री गोविन्द देथा की सुपर टाईम स्केल में वरिष्ठता चयन क्रमांक संख्या 27–ए से विलोपित कर श्री रतन सिंह (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2019–20 :–

श्री नरेश कुमार सोयल (अनु.जा.) का सेवाभिलेख अपूर्ण होने के कारण दिनांक 10.10.2019 को आयोजित डीपीसी की बैठक मे पदोन्नति हेतु चयन डेफर किया गया था। श्री सोयल के सेवाभिलेख पूर्ण होने पर गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर श्री सोयल को सुपर टाईम स्केल में वर्ष 2019–20 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता चयन सूची क्रमांक 16 श्री रामेश्वर मेघवाल (अनु.जा.) के नीचे तथा क्रमांक 17 श्री गुरुशरण राय (अनु.जा.) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2020–21 :–

राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल में पदोन्नति हेतु गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर मूल अभिशंषा में संशोधन करते हुए वरिष्ठता सह–योग्यता के आधार पर निम्नानुसार पदोन्नति दी जाती है :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पात्रता क्र.सं.	रिक्ति दिनांक
1.	श्री श्रीमनलाल मीणा	एस.टी.	04	01.04.2020
2.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	सामान्य	05	01.04.2020
3.	श्री जयपाल सिंह	सामान्य	06	01.04.2020
4.	श्री अनिल राव	सामान्य	07	01.04.2020
5.	श्री भोला राम यादव	सामान्य	08	01.04.2020
6.	श्री अरुण माच्या	एसटी	09	01.04.2020 (सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरुद्व) मूल वरिष्ठता के कारण
7.	डॉ0 लालचन्द कायल	एससी	11	01.04.2020 (सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरुद्व) मूल वरिष्ठता के कारण
8.	श्री पारसमल जैन	सामान्य	13	01.01.2021

अनुसूचित जाति के आरक्षण का अभ्यांश पूर्ण होने पर पात्रता सूची क्रमांक 09 श्री अरूण माच्या (एसटी) एवं क्रमांक 11 डॉ0 लालचन्द कायल (एससी) की पदोन्नति सामान्य वर्ग के पदोन्नत अधिकारी से मूल पद की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ होने के कारण सामान्य की रिक्तियों के विरूद्व प्रदान की गई है। उक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आधिक्य अभ्यांश को आगामी वर्ष की रिक्तियों में समायोजित किया जायेगा।

रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नत अधिकारियों को रिक्ति की दिनांक से कार्यग्रहण दिनांक तक नोशनल एवं कार्यग्रहण करने की दिनांक से वास्तवित रुप से वेतन का लाभ देय होगा।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। नव पदोन्नत आरपीएस अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/-

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

05.10.2021

(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस